# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
# पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 113/2021

| वादी :– | बनाम | प्रतिवादी :– |
|---|---|---|
| 1 स्व0 भोपालराम पुत्र देवाराम जाति राईका(देवासी) नि0 गुडाकलां तह0 सोजत जिला पाली के का0मु0:–<br>1/1 घीसी देवी बेवा स्व. भोपालराम<br>1/2 कानाराम पुत्र स्व. भोपालराम<br>1/3 हनुमतराम पुत्र स्व. भोपालराम<br>1/4 भाकरराम पुत्र स्व. भोपालराम<br>1/5 झमु देवी पुत्री स्व. भोपालराम<br>1/6. जीवा पुत्री स्व. भोपालराम जातियान राईका(देवासी) निवासीगण गुड़ाकलां तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान। | | 1. स्व. मथुरा देवी बेवा जैपाजी जाति राईका(देवासी) निवासी गुड़ाकलां तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के का0मु0 ::–<br>1/1 पुनाराम पुत्र स्व. जैपाजी<br>1/2 जीवा पुत्री स्व. जैपाजी<br>1/3 कन्या पुत्री स्व. जैपाजी<br>1/4 कमली देवी पत्नी स्व. बुद्धाराम पुत्र स्व. जैपाजी<br>1/5 शैतानराम पुत्र स्व. बुद्धाराम<br>1/6 प्रकाश पुत्र स्व. बुद्धाराम जातियान राईका(देवासी) निवासीगण गुड़ाकलां तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।<br>2 तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान। |

उप खण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955**

उपस्थितिः–

1. **श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।**
2. **तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।**

**–: निर्णय :–** **दिनांक – 27.04.2022**

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम गुड़ाकलां पटवार हल्का गुड़ाकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गुड़ाकलां तहसील सोजत जिला पाली राज. के वर्तमान खाता नंबर 256 के खसरा नंबर 251 रकबा 0.8000 हैक्टर किस्म गै.मु.सड़ा, खसरा नंबर 252 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नंबर 253 रकबा 0.3200 हैक्टर कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.5000 हैक्टर की कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की माता, प्रतिवादी संख्या 04 की सास व प्रतिवादी संख्या 05 व 06 की दादी स्व. मथुरा देवी पत्नी जैपाजी की खातेदारी कब्जा काश्त की आयी हुई स्थित है तथा मथुरा देवी का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके उताराधिकारी वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 है। स्व. मथुरादेवी पत्नी जैपाजी का पूर्व में खसरा नंबर 252 का रकबा 0.5800 हैक्टर भूमि खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित थी, जिसमें से खसरा नंबर 252 रकबा 0.5800 हैक्टर में से 0.0700 हैक्टर की कृषि भूमि को वादीगण के पिता/पति स्वर्गीय भोपालराम पुत्र देवाराम जी जाति देवासी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 28/09/1996 को प्रतिफल की राशि 1900/– रूपये में बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

दिया था। जो बेचान रजिस्ट्री दिनांक 28/09/1996 को उप पंजीयन कार्यालय, सोजत में पंजीयन सुदा दस्तावेज है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के खसरा नंबर 252 रकबा 0.1000 हैक्टर में से 0.0700 हैक्टर भूमि को वादस्थ कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। वादीगण तमाम स्वर्गीय भोपालराम पुत्र देवाराम जाति देवासी के वैध, उतराधिकारी वारिसान है तथा वादस्थ कृषि भूमि को स्वर्गीय भोपालराम जी ने अपने जीवनकाल में स्वर्गीय मथुरा देवी से खसरा नंबर 252 रकबा 0.5800 हैक्टर में से 0.0700 हैक्टर कृषि भूमि को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा बेचान पंजीयन भी वादीगण के पिता स्वर्गीय भोपालराम जी के नाम दिनांक 28/09/1996 को निष्पादित किया गया। वादीगण के पिता/पति स्वर्गीय भोपालराम जी का आज से करीब 09 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है तथा वादस्थ भूमि पर वक्त खरीद से भोपालराम जी का एकमात्र कब्जा काश्त खातेदार हैसियत से चला आया है व उनके स्वर्गवास पश्चात वादीगण तमाम का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आज दिनांक तक बिना किसी बाधा अड़चन के बहैसियत खातेदार चला आया है। उपरोक्त भूमि को स्वर्गीय भोपालराम जी के द्वारा श्रीमती मथुरा देवी से खरीद के पश्चात से बेचान के आधार पर नामान्तरण हेतु सम्बन्धित पटवारी हल्का को बेचान, रजिस्ट्री दिनाक 28/09/1996 की प्रति दे दी थी, लेकिन सम्बन्धित राजस्व कर्मचारी के द्वारा उपरोक्त बेचान के आधार पर वादीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया। चूंकि वादीगण के पिता/पति अनपढ़, निरक्षर, व्यक्ति थे। जिनको राजस्व रेकर्ड के दस्तावेजात के सम्बन्ध में अमल दरामद की कोई जानकारी नही थी तथा वादीगण के पिता/पति इसी विश्वास, भरोसे में रहे कि सम्बन्धित राजस्व कर्मचारी के द्वारा बेचान के आधार पर खातेदार इन्द्राज कर दिया होगा। चूंकि कब्जा काश्त उपयोग उपभोग स्वर्गीय भोपालराम जी का ही चला आ रहा था। लेकिन उपरोक्त भूमि राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा बेचान के आधार पर वादीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही किया गया तथा उनके स्वर्गवास पश्चात भी वादीगण अनपढ़, निरक्षर एवं ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होने से राजस्व दस्तावेज की जानकारी के अभाव में उक्त सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सके। जबकि मौके पर आज भी वादीगण का स्वर्गीय भोपालराम जी के द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। वर्तमान में वादीगण द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में ऋण की आवश्यकता होने के कारण सम्बन्धित पटवारी हल्का से जमाबंदी के लिये राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शा की प्रति हेतु दिनांक 12/08/2021 को संपर्क किया, जिस पर सम्बन्धित पटवारी हल्का के द्वारा उपरोक्त राजस्व रेकर्ड में मथुरा देवी का नाम ही दर्ज होने की जानकारी दी। जिस पर वादीगण के द्वारा सम्बन्धित पटवारी हल्का को अपने पिता द्वारा खरीद की गई बेचान रजिस्ट्री की फोटो प्रति भी दिखाई तथा उक्त बेचान एवं भोपालराम जी का स्वर्गवास हो जाने से फौतेदगी नामान्तरण की कार्यवाही हेतु कहा तो सम्बन्धित पटवारी हल्का के द्वारा श्रीमान तहसीलदार सोजत से उक्त सम्बन्ध में आदेश के पश्चात कार्यवाही का कहा गया जिस पर वादीगण द्वारा उक्त बेचान रजिस्ट्री एवं स्वर्गीय भोपालराम जी का स्वर्गवास हो जाने से अपना नाम इन्द्राज करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 07 तहसीलदार सोजत के कार्यालय में प्रार्थना पत्र मय बेचान रजिस्ट्री प्रस्तुत कर अपना नाम खातेदार इन्द्राज हेतु प्रस्तुत किया। लेकिन प्रतिवादी संख्या 07 के द्वारा उक्त बेचान दस्तावेज वर्ष 1996 का होने से देरिना होना बताकर उक्त सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से खातेदारी घोषणा करवाने का कहा गया जिससे वादीगण द्वारा उक्त वाद खातेदारी घोषणा हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा वादीगण वादस्थ भूमि के खसरा नंबर 252 रकबा 0.1000 हैक्टर में से 0.0700 हैक्टर की भूमि का बेचान रजिस्ट्री दिनांक 28/09/1996 के आधार पर स्वर्गीय भोपालराम के उतराधिकारी वारिसान होने से खातेदारी घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 स्वर्गीय मथुरादेवी के विधिक उतराधिकारी वारिसान होने से बतौर प्रतिवादी फारमल पक्षकार बनाया गया हैं तथा प्रतिवादी संख्या 07 तहसीलदार भूमि धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। बिनायदावा वादस्थ कृषि भूमि खसरा नंबर 252

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

रकबा 0.5800 हैक्टर में से 0.0700 हैक्टर कृषि भूमि मथुरा देवी द्वारा वादीगण के पिता/पति स्वर्गीय भोपालराम जी के पक्ष में दिनांक 28/09/1996 को प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बेचान दस्तावेज उप पंजीयन कार्यालय, सोजत में पंजीयन कर कब्जा सुपुर्द कर देने से तथा स्वर्गीय भोपालराम जी का वादस्थ भूमि पर कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार के होने से एवं उनके स्वर्गवास पश्चात वादीगण का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आज दिनांक तक वादीगण का चला होने से, दिनांक 12/8/2021 को वादीगण द्वारा वादस्थ भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित पटवारी हल्का से ऋण हेतु जमाबंदी की नकल प्राप्त करने हेतु जाने पर वादस्थ भूमि में मथुरा देवी का नाम दर्ज होने की सर्वप्रथम जानकारी होने पर बेचान रजिस्ट्री एवं भोपालराम जी का स्वर्गवास हो जाने से अपना नाम इन्द्राज करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 07 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रतिवादी संख्या 07 द्वारा उक्त सम्बन्ध में घोषणा के अभाव में अमल दरामद करवाने से साफ इंकार हो जाने से वाद कारण बमुकाम ग्राम गुड़ाकलां तहसील सोजत जिला पाली राज. में उत्पन्न हुआ, जो वाद अन्दर म्याद पेश है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम गुड़ाकलां तहसील सोजत जिला पाली राज. में स्थित होने से तथा वाद खातेदारी घोषणा का होने से न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वादपत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर वाद पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम गुड़ाकलां के खसरा नंबर 252 रकबा 0.1000 हैक्टर कृषि भूमि के सम्बन्ध में वादीगण स्व. भोपालराम जी के पक्ष में निष्पादित बेचान रजिस्ट्री दिनांकित 28/09/1996 के आधार पर व स्वर्गीय भोपालराम जी के वैध उतराधिकारी वारिसान होने से खसरा नंबर 252 रकबा 0.1000 हैक्टर में से 0.0700 हैक्टर भूमि में खातेदार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 से 7 को बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 15.02.2022 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 01, पुनाराम ने प्रा0 पत्र जबाब दावा पेश करने हेतु पेश किया, पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाब दावा पेश नही करने से दिनांक 04.04.2022 को जबाब दावा बन्द किया गया।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2075–2058, वादीगण स्व. भोपालराम जी के पक्ष में निष्पादित बेचान रजिस्ट्री दिनांकित 28/09/1996 की प्रमाणित प्रतियॉ पेश किए, सामिल मिसल है। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजातएवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों, के होने से पृथक तनकीयात कायमी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रतिवादी ने संख्या 01 द्वारा प्रर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जबाब दावा पेश नही किया है तथा आज भी उपस्थित नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 01 को बार बार आवाजे लगाई गई तदोपरान्त भी उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अधिवक्ता वादी शहादत वादी पेश नही कर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर बहस में सम्पूर्ण तथ्य प्रस्तुत करने का निवेदन किया। लिहाजा शहादत वादी बन्द की जाती है।

तमाम प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से बहस एकपक्षीय सूनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि मौजा सरहद मौजा ग्राम गुड़ाकलां के खसरा नंबर 252 रकबा 0.1000 हैक्टर कृषि भूमि वाद पत्र में संलग्न दस्तावेजात बेचान रजिस्ट्री दिनांक 28/09/1996 की प्रमाणित प्रति, वर्तमान जमाबंदी, आदि दस्तावेजात के आधार पर वादी घोषणा पाने के विधिक उतराधिकारी है। **स्व.** मथुरादेवी पत्नी जैपाजी का पूर्व में खसरा नंबर 252 का रकबा 0.5800 हैक्टर भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित थी, जिसमें से खसरा नंबर 252 रकबा 0.5800 हैक्टर में से 0.0700 हैक्टर की कृषि भूमि को वादीगण के पिता/पति स्वर्गीय भोपालराम पुत्र देवाराम जी जाति देवासी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 28/09/1996 को प्रतिफल की राशि 1900/– रूपये में बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। वादीगण तमाम स्वर्गीय भोपालराम पुत्र देवाराम जाति देवासी के वैध, उतराधिकारी वारिसान है। उक्त बेचान के बाद भी राजस्व कर्मचारी द्वारा वादी के पिता के नाम से बेचान हुई उक्तभूमि का नामान्तरकरण नही दर्ज किया तथा वर्तमान में भी मथुरादेवी के नाम से ही भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुदा है। वादी के पिता ने सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर दी है। इसलिए वादीगण को खातेदारा काश्तका घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, वाद पत्र में संलग्न प्रस्तुत फहरिस्त मय दस्तावेजात यथा बेचान रजिस्ट्री दिनांक 28/09/1996 की प्रमाणित प्रति, बतौर साक्ष्य सबूत प्रस्तुत शपथ पत्रों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी पर गौर कर मनन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद वादीगण के पिता / पती द्वारा जरिये बेचान दिनांक 28/09/1996 को खरीद की गई भूमि का नामान्तरकरण अपने पिता/पति के नाम दर्ज नही होने से व्यतीत होकर पेश किया है। पंजीयन दस्तावेज दिनांक 28.09.1996 से यह स्पष्ट होता है कि मथुरा देवी ने खसरा नंबर 252 रकबा 0.5800 हैक्टर में से 0.0700 हैक्टर की कृषि भूमि को वादीगण के पिता/पति स्वर्गीय भोपालराम पुत्र देवाराम जी जाति देवासी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 28/09/1996 को प्रतिफल की राशि 1900/– रूपये में बेचान किया गया है। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों की शपथ पत्रों से संपुष्टि होने से स्वीकार किया जाना तथा सरहद मौजा गुड़ाकलां के खसरा नंबर 252 रकबा 0.1000 हैक्टर कृषि भूमि के सम्बन्ध में स्व. भोपालराम के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध दस्तावेज बेचान रजिस्ट्री दिनांक 28/09/1996 के आधार पर स्वर्गीय भोपालराम के वैध उतराधिकारी वारिसान वादीगण होने से खसरा नंबर 252 रकबा 0.1000 हैक्टर में से 0.0700 हैक्टर भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

## –: आदेश :–

अतः माफिक दावा एवं पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 28/09/1996 डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा गुड़ाकलां के खसरा नंबर 252 रकबा 0.1000 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण को (स्वर्गीय भोपालराम के वैध उतराधिकारी वारिसान) होने से खसरा नंबर 252 रकबा 0.1000 हैक्टर में से 0.0700 हैक्टर भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

# डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली**

**बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.**

| | वादी :– | बनाम | | प्रतिवादी :– |
|---|---|---|---|---|
| 1 | स्व0 भोपालराम पुत्र देवाराम जाति राईका(देवासी) नि0 गुडाकलां तह0 सोजत जिला पाली के का0मु0:– | | 1. | स्व. मथुरा देवी बेवा जैपाजी जाति राईका(देवासी) निवासी गुड़ाकलां तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के का0मु0 ::– |
| 1/1 | घीसी देवी बेवा स्व. भोपालराम | | 1/1 | पुनाराम पुत्र स्व. जैपाजी |
| 1/2 | कानाराम पुत्र स्व. भोपालराम | | 1/2 | जीवा पुत्री स्व. जैपाजी |
| 1/3 | हनुमतराम पुत्र स्व. भोपालराम | | 1/3 | कन्या पुत्री स्व. जैपाजी |
| 1/4 | भाकरराम पुत्र स्व. भोपालराम | | 1/4 | कमली देवी पत्नी स्व. बुद्धाराम पुत्र स्व. जैपाजी |
| 1/5 | झमु देवी पुत्री स्व. भोपालराम | | 1/5 | शैतानराम पुत्र स्व. बुद्धाराम |
| 1/6. | जीवा पुत्री स्व. भोपालराम जातियान राईका(देवासी) निवासीगण गुड़ाकलां तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान। | | 1/6 | प्रकाश पुत्र स्व. बुद्धाराम जातियान राईका(देवासी) निवासीगण गुड़ाकलां तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान। |
| | | | 2 | तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान। |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955**

राजस्व वाद संख्या :– 113/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री कैलाश दवे तथा प्रतिवादी संख्या 01 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा गुड़ाकलां के खसरा नंबर 252 रकबा 0.1000 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण को (स्वर्गीय भोपालराम के वैध उतराधिकारी वारिसान) होने से खसरा नंबर 252 रकबा 0.1000 हैक्टर में से 0.0700 हैक्टर भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27.04.2022 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

| मद्दई | रूपया | न.पै. | मुद्दायला | रूपया | न.पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा | शून्य | शून्य | स्टाम्प वकलतनामा | शून्य | शून्य |
| स्टाम्प वकालतनामा | शून्य | शून्य | स्टाम्प अरजी | शून्य | शून्य |
| स्टाम्प वजह सबूत | शून्य | शून्य | महनताना वकल | शून्य | शून्य |
| महनताना वकील पर | शून्य | शून्य | खर्चा गवाहान | शून्य | शून्य |
| खर्चा गवाहान | शून्य | शून्य | फीस कमिश्नर | शून्य | शून्य |
| फीस कमिश्नर | शून्य | शून्य | बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | शून्य |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | शून्य | मुतफर्रिक | शून्य | शून्य |
| मतफर्रिक | शून्य | शून्य | | | |
| मद्दई | रूपया | न.पै. | मुद्दायला | रूपया | न.पै. |